



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220837
CG-DL-E-04082020-220837

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2270]
No. 2270]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SHRAVANA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2564(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 एतद्द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्रअसाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 440(अ) तारीख 30.01.2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :

(I) सारणी 1 के बाद टिप्पणी के मद 1 में निम्नवत् संशोधन किया जाएगा:

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) परशोध्य और संदेय होगा, अर्थात:

शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) (चैनेज) का विद्यमान अवस्थान	शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) (चैनेज) का संशोधित अवस्थान
कोटा जिले में सकटपुरा गांव के निकटरारा-76 के 1.250 कि.मी. (रारा 27 का नया चैनेज 1055.217) पर	कोटा जिले में सकटपुरा गांव के निकट रारा-27 के 1055.217 कि.मी (पुराने रारा 76 का 1.250 कि.मी.) पर
कोटा जिले में नयागांवके निकट रारा-76 के 4.870 कि.मी(रारा 27 का नया चैनेज 1058.837) पर	कोटा जिले में नयागांव के निकट रारा-27के 1059.350 कि.मी (पुराने रारा 76 का 5.383 कि.मी.) पर

(II) सारणी 1 के बाद टिप्पणी के मद 2 में निम्नवत् संशोधन किया जाएगा:

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की निवल लंबाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
कोटा जिले में सकटपुरा गांव के निकट रारा-27 के 1055.217 कि.मी (पुराने रारा 76 का 1.250 कि.मी.) पर	कोटा बाइपास जो डिजाइन चैनेज कि.मी. 375.080/0.000 (रारा-27 का विद्यमान चैनेज कि.मी. 382.540, नया चैनेज 1053.964) से आरंभ होकर डिजाइन चैनेज 26.285 कि.मी. (रारा -27 का विद्यमान चैनेज कि.मी. 406.000, नया चैनेज 1080.249) पर मिलता है।	24.7262 (1.559 कि.मी. की संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है)	313.63	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150% (अर्थात् आधार दरों के 100 % का डेढ़ गुना)
कोटा जिले में नयागांव के निकट रारा-27 के 1059.350 कि.मी (पुराने रारा 76 का 5.383 कि.मी.) पर				

(III) सारणी 1 के बाद टिप्पणी के मद 3 में निम्नवत् संशोधन किया जाएगा:

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई* (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कोटा जिले में सकटपुरा गांव के निकट रारा-27 के 1055.217 कि.मी (पुराने रारा 76 का 1.250 कि.मी.) पर	1.559 कि.मी.	15.590	ऊपर सारणी 1 -में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कोटा जिले में नयागांव के निकट रारा-27 के 1059.350 कि.मी (पुराने रारा 76 का 5.383 कि.मी.) पर			
	कुल लंबाई	15.590	

*60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं का विवरण निम्नवत् है :

क्रम सं.	60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना		
	कोटा बाइपास का डिजाइन चैनेज (कि.मी.)		लंबाई (मीटर में)
	से	तक	
1	3+000	4+400	1100
2	9+123.73	9+186.27	62.54
3	11+907.88	11+992.13	84.25
4	16+411.38	16+474.63	63.25
5	18+889.19	19+034.81	135.62
6	22+852.43	22+965.57	113.14
कुल			1559

उपरोक्त संशोधन उपरोक्त अवस्थान पर अर्थात् कोटा जिले में सकटपुरा गांव के निकट रारा-27 के 1055.217 कि.मी पर और कोटा जिले में नयागांव के निकट रारा-27 के 1059.350 कि.मी पर टोल प्लाजा के स्थायी निर्माण के बाद से लागू होगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/12018/एडीबी-IV/2002/पीकेजीआरजे-04]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

S.O. 2564(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 440 (E), dated 30.01.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

(i) Point 1 of Notes after Table 1 shall stand revised as under:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s):

Existing Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Revised Location of Fee Plaza(s) (chainage)
At km 1.250 (New chainage 1055.217 of NH-27) near village Sakatpura in Kota district of NH-76	At km 1055.217 of NH-27 (at km. 1.250 of Old NH-76) near village Sakatpura in Kota district
At km 4.870 (New chainage 1058.837 of NH-27) near village Nayagaon in Kota district of NH-76	At km 1059.350 of NH-27 (at km. 5.383 of Old NH-76) near village Nayagaon in Kota district

(ii) Point 2 of Notes after Table 1 shall stand revised as under:

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza (s):

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 1055.217 of NH-27 (at km. 1.250 of Old NH-76) near village Sakatpura in Kota district	Kota Bypass taking off at design chainage km 375.080/0.000 (Existing Chainage km 382.540, New Chainage 1053.964 of NH-27) and merging at design chainage km 26.285 (Existing Chainage km 406.000, New Chainage 1080.249 of NH-27)) of NH-76	24.7262 (Excluding 1.559 km of structures having length more than 60m)	313.63	150% of the base rates (i.e. 1.5 times of 100% of the base rates) mentioned in Table-1 above
At km 1059.350 of NH-27 (at km. 5.383 of Old NH-76) near village Nayagaon in Kota district				

(iii) Point 3 of Notes after Table 1 shall stand revised as under:

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures

into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 1055.217 of NH-27 (at km. 1.250 of Old NH-76) near village Sakatpura in Kota district	1.559 Km.	15.590	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 1059.350 of NH-27 (at km. 5.383 of Old NH-76) near village Nayagaon in Kota district			
	Total length	15.590	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m		
	Design Chainage (km) of Kota Bypass		Length (m)
	From	To	
1	3+000	4+400	1100
2	9+123.73	9+186.27	62.54
3	11+907.88	11+992.13	84.25
4	16+411.38	16+474.63	63.25
5	18+889.19	19+034.81	135.62
6	22+852.43	22+965.57	113.14
Total			1559

The above amendment shall come into effect after Construction of permanent Toll Plaza at above location viz at km 1055.217 of NH-27 near village Sakatpura and at km 1059.350 of NH-27 near village Nayagaon in District-Kota

[F. No. NHAI/12018/ADB-IV/2002/PKGRJ-04]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.